

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक:13-06-2026

क्रमांक: File No.:1/1/41/0006/2026-Sec-2-29(FCS), राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्र.04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव	रायसेन	सागर
2	श्रीमती मिताली मेहरा	विदिशा	सीहोर
3	श्री सुरेश कुमार गूजर	आगर-मालवा	शाजापुर
4	श्री सुरेश धोटे	बालाघाट	छिंदवाड़ा
5	श्री सुनील कुमार किरार	बालाघाट	कटनी
6	श्री सुमित चौधरी	छिंदवाड़ा	मंडला
7	श्री अभिषेक सनोडिया	सीधी	सिवनी
8	श्री शिवम मार्को	श्यापुर	बालाघाट
9	श्री नागेश दायमा	उज्जैन	मंदसौर
10	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा	खंडवा	उमरिया
11	श्रीमती ज्योति पटले	अशोकनगर	छिंदवाड़ा
12	श्रीमती ज्योति थानेश्वर	भिंड	ग्वालियर
13	सुश्री हुमा अन्जुम	मुरैना	डिंडोरी
14	श्री सुजीत परस्ते	मंडला	उमरिया
15	सुश्री नियुक्ति उमाहिया	हरदा	भोपाल
16	श्री दलप्रताप सिंह पैगाम	सिवनी	सीधी
17	श्रीमती लाली खराडी	बड़वानी	धार
18	श्रीमती सुरभि जैन	उज्जैन	विदिशा
19	श्रीमती दीप्ति सिंह	शहडोल	सतना

2/ उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान पदस्थापना स्थल से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3/ स्थानान्तरित अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल पर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होने पर ही अवकाश का निराकरण किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(बी.के.चन्देल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ.क्रमांक:FNo.:1/1/41/0006/2026-Sec-2-29(FCS) भोपाल,दिनांक:13-06-2026

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला:- रायसेन, सागर, विदिशा, सीहोर, आगर-मालवा, शाजापुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, कटनी, मण्डला, सीधी, सिवनी, श्योपुर, उज्जैन, मंदसौर, खण्डवा, उमरिया, अशोकनगर, भिण्ड, ग्वालियर, मुरैना, डिण्डौरी, हरदा, भोपाल, बडवानी, धार, शहडोल, सतना, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
6. जिला आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल, सागर, शहडोल, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
7. जिला आपूर्ति अधिकारी, रायसेन, विदिशा, सीहोर, आगर-मालवा, शाजापुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, कटनी, मण्डला, सीधी, सिवनी, श्योपुर, मंदसौर, खण्डवा, उमरिया, अशोकनगर, भिण्ड, मुरैना, डिण्डौरी, हरदा, बडवानी, धार, सतना, मध्यप्रदेश।
8. जिला कोषालय अधिकारी, रायसेन, सागर, विदिशा, सीहोर, आगर-मालवा, शाजापुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, कटनी, मण्डला, सीधी, सिवनी, श्योपुर, उज्जैन, मंदसौर, खण्डवा, उमरिया, अशोकनगर, भिण्ड, ग्वालियर, मुरैना, डिण्डौरी, हरदा, भोपाल, बडवानी, धार, शहडोल, सतना, इन्दौर मध्यप्रदेश।
9. संबंधित अधिकारी.....की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

हस्ता/-

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग